न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 181/2021

प्रार्थीगणः—

1. पुष्पेन्द्र हाडा पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 280 कृष्णा विहार,कुन्हाडी कोटा हाल ग्राम बिजलीया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. कुलदीपसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा राजस्थान
3. रखबचन्द जैन पुत्र इन्द्रमल जैन जाति जैन निवासी मकान संख्या 79 घाटी नीचे,बडोद, जिला आगार मध्यप्रदेश

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर
3. श्रीमान् क्षेत्रीय उपवन संरक्षक सिवाना
4. श्रीमान् उपवन सरंक्षक बाडमेर/बालोतरा
5. श्रीमान् जिला वन अधिकारी बाडमेर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री खीमाराम अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3
3. विप्रार्थीगण संख्या 1,2,4 व 5 अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक :—14.03.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण संख्या 1,2,4 व 5 के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी उपस्थित । जबाब पेश करने के कई अवसर लिये जाने के बाद भी जबाब प्रस्तुत नहीं करने से विप्रार्थी संख्या 3 का जबाब पेश करने का अवसर दिनांक 11.02.2022 को बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की [illegible] । पत्रावली का गहराई से अवलोकन व मनन किया। पत्रावली के संलग्न [illegible]बंदी सवंत 2070 —2073 सरहद मौजा बिजलीया पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना के खेत खसरा [illegible] 235/71 रकबा 2.4281 हैक्टयर किस्म रेतली भूमि व सरहद मौजा फूलण पटवार मण्डल सावंरडा तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 401/165 किस्म गै.मु. पहाड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण सरहद मौजा बिजलीया पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 235/71 रकबा 2.4281 हैक्टयर किस्म रेतली

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

बतौर खातेदारी दर्ज है। परन्तु उक्त ख़ातेदारी के खेत के पडौस सरहद मौजा फूलण पटवार मण्डल सावंरडा तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 401/165 में सीमा को लेकर विप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के साथ हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना/समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित सरहद मौजा बिजलीया पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 235/71 रकबा 2.4281 हैक्टयर किस्म रेतली भूमि व सरहद मौजा फूलण पटवार मण्डल सावंरडा तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 401/165 किस्म गै.मु. पहाड के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर सरहद मौजा बिजलीया पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 235/71 रकबा 2.4281 हैक्टयर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना व समदडी को 500—500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना/समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना/समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना व समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:48 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

आदेश आज दिनांक **14.03.2022** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)